भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1009

बुधवार, 10 फरवरी, 2021/21 माघ, 1942 (शक)

प्रवासी कामगारों की मृत्यु

1009. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या मंत्रालय ने मार्च से सितम्बर, 2020 के बीच लगाए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद मरने वाले प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों की संख्या के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो मरने वाले कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों की संख्या और मृत्यु के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र में दुर्घटना के कारण 17 लोगों की मृत्यु को छोड़कर असम, अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, नागालैंड, मणिपुर तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से प्रवासी कामगारों की जानों के नुकसान के किसी मामले की जानकारी नहीं मिली है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

*****